

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—39/2018 (2018/00103) वादपत्र

अनवान

1. बरजुदेवी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. नेनादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मणदास पिता मांगुदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपालदास पिता मांगुदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उंकारदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मीठुदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. मांगुदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीया

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.10.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाकाखेड़ा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 136 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 141 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि में वादीया का 1/8 हिस्सा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 व ज्ञानी बेवा मांगुदास का 1/2 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का 1/4 हिस्से का मौके एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया



[Signature]

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.07.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 141/2 रकबा 0.16 है० भूमि बरजुदेवी पत्नि छोगा गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 136 रकबा 0.54 है०, आराजी संख्या 141/1 रकबा 0.58 है० भूमि नेनादास, हीरादास पिता मोहनदास, मु. ज्ञानी बेवा मांगुदास 4/7, लक्ष्मणदास गोपालदास पिता मांगुदास 1/7 गोमा पुत्र नवलदास 2/7 बैरागी सा. देह खातेदार के नाम रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
28.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला न्यायालय
गयपुर (नीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—39/2018 (2018/00103) वादपत्र

अनवान

1. बरजुदेवी पत्नि छोगा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. नेनादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मणदास पिता मांगुदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपालदास पिता मांगुदास बैरागी निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उंकारदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मीठुदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. मांगुदास पिता गोमा बैरागी निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आ आ की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 141/2 रकबा 0.16 है0 भूमि बरजुदेवी पत्नि छोगा गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 136 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 141/1 रकबा 0.58 है0 भूमि नेनादास, हीरादास पिता मोहनदास, मु. ज्ञानी बेवा मांगुदास 4/7, लक्ष्मणदास गोपालदास पिता मांगुदास 1/7 गोमा पुत्र नवलदास 2/7 बैरागी सा. देह खातेदार के नाम रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sms
28.07.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा